न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कविता गोदारा, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 22/2025

सिणगारी उम्र 90 साल पत्नी श्री नाथाराम जाति जाट नि0 चेनतदास की ढाणी पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

प्रार्थीया,

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र टोडूराम।
2. झाबरमल पुत्र टोडूराम।
3. श्रवण पुत्र टोडूराम।
4. गोपाल लाल पुत्र टोडूराम।
5. शिशराम पुत्र टोडूराम।
6. सुरेश पुत्र टोडूराम।
   समस्त जाति जाट नि0 गोठडा भैंसावा तह0 उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू हाल अस्थायी नि0 चेनत दास की ढाणी पलसाना तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
7. सुनिता पत्नी राजेन्द्र पुत्री टोडूराम जाति जाट नि0 चेनतदास की ढाणी पलसाना तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल नि0 किशनपुरा रींगस तन रींगस जिला सीकर।
8. भगवानी पत्नी स्व0 लक्ष्मणराम पुत्री टोडूराम जातिजाट नि0 चेनतदास की ढाणी पलसाना तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल नि0 गोल्डा बसावा जिला झुंझुंनू।
9. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।
10. उप पंजीयक उप तहसील पलसाना सीकर।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश स्वामी, वकील प्राथीया की ओर से।
2. ,, महावीर प्रसाद अप्रार्थी सं0 1 से 8 की ओर से।

आवेदन अंतर्गत 212 राज0काश्त0 अधिनियम।

:: निर्णय ::

दिनांक :: 22.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0नं0 167 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 168 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 168/218 रकबा 4.9400 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.9800 है0 वाके ग्राम चेतनदास की ढाणी तह0 दांतारामगढ़ जिलासीकर में अवस्थित है। प्रार्थीया का सजरा खानदान पैरा सं0 3 अनुसार है। प्रार्थीया व उसके

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

पति नाथाराम ने कभी भी अप्रार्थीगण के पिता टोडूराम को गोद नहीं लिया ना ही टोडूराम के माता पिता ने ही कभी उसको अथवा उसके पति के गोद दिया गया । लेकिन अप्रार्थीगण के पिता टोडूराम ने बिना किसी कानूनी हक अधिकार के व बिना स्व0 दुलाराम के वंशज में हुए गलत रूप से अपने आप को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के सिणगारी के नाम दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियों को हडपने की नियत से अपने आप को सिणगारी का दत्तक पुत्र फर्जी रूप से बनकर दावे में प्रश्न गत कृषि भूमियों को अपने नाम हकत्याग दिनांक 10.7.2003 को बिना अधिकार के अपने नाम अंकित करवा लिया, जबकि प्रार्थीया ने कभी भी अपनी भूमि अप्रार्थीगण के पिता टोडूराम को जरिये हकत्याग नहीं दी गई। अप्रार्थीगण के पिता टोडूराम के द्वारा दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियों की खातेदारी गलत रूप से अपने नाम अंकित हो जाने के कारण उनके मन में लालच व बेईमानी आ चुकी है। इस कारण वे गलत खातेदारी की आड़ में प्रार्थीया को उसकी कब्जे काश्त व खोदारी की प्रश्नगत कृषि भूमियों से बेदखल करने पर आमादा है तथा अन्य भू माफिया गिरोह के सदस्यो को विक्रय, अंतरित, प्रभारित करने पर आमादा है जिसका कि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण उन्हें ऐसा न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया ने आवेदन पत्र पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है कि वे मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 8 जरिये वकील उपस्थित आए तथा जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 व 2 स्वीकार है। मद सं0 3 ता 10 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया है कि जवाबदाता का पिता टोडूराम प्रार्थीया का दत्तक पुत्र था। प्रार्थीया के पति नाथाराम ने अपने जीवनकाल में ही उसके पिता को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने संपूर्ण रस्म व रिवाजों को पूर्ण करते हुए गोद लिया था। तब से ही जवाबदातागण का पिता टोडूराम नाथाराम व प्रार्थीया का दत्तक पुत्र चला आ रहा है। उसके पिता की संपूर्ण पढाई लिखाई शादी व अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी उसके दत्तक पिता नाथाराम के द्वारा ही किया गया था। टोडूराम के आधार कार्ड वोटर आईडी व अन्य समस्त दस्तावेजात में दत्तक पिता नाथाराम का ही नाम अंकित चला आ रहा है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु होने पर राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश व सहवन से खातेदारी अकेली सिणगारी के नाम दर्ज हो गई थी जबकि दत्तक पुत्र टोडूराम के नाम भी दर्ज होनी चाहिए थी। प्रार्थीगण के पिता टोडूराम ने जब अपनी दत्तक माता सिणगारी देवी को इस बारे में बताया तब सिणगारी देवी ने कोई मुकदमा नहीं करके अपने खातेदारी की संपूर्ण भूमि का हक त्याग अपने दत्तक पुत्र टोडूराम के पक्ष में निष्पादित कर दिया था, जिसके आधार पर टोडूराम के नाम से खातेदारी दर्ज होकर आज तक राजस्व रिकार्ड में टोडूराम का नाम अंकित चला आ रहा है। हक त्याग प्रलेख को माननीय न्यायालय वरि0 सिविल न्यायाधीश, दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष चुनौति दे रखी है। इसी

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

हक त्याग प्रलेख को मान0 न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौति दे रखी है। कानूनन एक दस्तावेज को एक ही न्यायालय में चुनौति दी जा सकती है, दो न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती है। जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन को मय हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया किया कि दावे का जवाब पेश नहीं किया गया है सिर्फ टी0आई0 में जवाब पेश किया है। दावे का जवाब भी आवश्यक था, जिस पर तनकी बननी थी। अन्यथा खण्डन करना चाहिए था। टोडूराम वादिया गा गोद पुत्र था। वादिया के पति ने कभी भी टोडूराम को गोद नहीं लिया था। नाथाराम खातेदार था। उसकी मृत्यु के बाद सिणगारी का विरासत का नामान्तकरण खुल गया। संवत् 2060–63 में विवाद उत्पन्न हुआ है। नामान्तकरण सं0 68 दिनांक 20.05.2004 को हकत्याग का नामान्तकरण भरा गया। टोडूराम सहखातेदार नहीं थे। हकत्याग सह खातेदारों के बीच में होता है। हकत्याग सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। आज भी परिस्थितियां समान है। दावा अभी विचाराधीन है, जिसमें जवाब अभी तक पेश नहीं किया गया है। 1970 के बाद में दत्तक (मौखिक) समाप्त कर दिया। रजि0 दस्तावेज अनिवार्य कर दिया गया है। विरासत का नामान्तकरण आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया। उद्घोषणा की कोई मियाद नहीं है। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत आरआरसी 1997 पेज सं0 14, आरआरटी 2023 II पेज सं0 919, आरएलडब्ल्यू 2003 I (रेवे.)पेज सं0 488, आरएलडब्ल्यू 2007 I (रेवे.)पेज सं0 578 पेश की।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया किया कि टोडूराम बचपन से गोद था। वह गोद है या नही है। यह सिविल न्यायालय में तय होना है। सिणगारी देवी के ननद का बेटा था टोडूराम। सहवन से सिणगारी के नाम नामान्तकरण गलत दर्ज हो गया। मेरा जीवन यापन उसी जमीन से हो रहा है। मैं किसी भी तरह से बेचान नहीं कर रहा हूं। मेरा विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हो रहा है। सन् 2022 से सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। सिणगारी 90 वर्ष की है। मुझे स्थगन से मुक्त किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाव प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि वादिया के पति ने कभी भी टोडूराम को गोद नहीं लिया था। नाथाराम खातेदार था। उसकी मृत्यु के बाद सिणगारी का विरासत का नामान्तकरण खुल गया। नामान्तकरण सं0 68 दिनांक 20.05.2004 को हकत्याग का नामान्तकरण भरा गया है। हकत्याग से संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। आज भी परिस्थितियां समान है। दावा अभी विचाराधीन है, जिसमें जवाब अभी तक पेश नहीं किया गया है। विरासत का नामान्तकरण आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

चूंकि प्रार्थीया द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है,जिसका अंतिम निस्तारण गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। प्रकरण में पृथम दृष्टंया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 167 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 168 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 168/218 रकबा 4.9400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.9800 है0 वाके ग्राम चेतनदास की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर